

2024/92

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	न अहर की त
16/10/24	वकुलाम उपरा बहक जुनी गडि। पत्रावली वाहे आदेश दि० 18/10/24 को करा हो।	
18/10/24	वकुलाम उपरा पत्रावली वाहे आदेश करा हुई। निर्णय प्रकृत ले लिखाया जाकर भुवाया गया। शिवांमि० हो। पत्रावली पत्रावली में शुभार हो कर बाद शर्ति निष्पन्नानुसार दाखिल कराया हो। ह/३	



कर व ला...
जो इस हुक्म
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी (राज०)

मि०नं०	तारीख दायरा	निर्णय दिनांक	पीठारीन अधिकारी
96/प्रा०प०/2024	06.06.2024	18.10.2024	हरबिन्दर डी० सिंह, आर०ए०एस०

शक्तिसिंह पुत्र भगवत सिंह उर्फ भगतसिंह जाति मीना निवारी चाचोलिया की झौपड़िया तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान

—प्रार्थी

—बनाम—

तहसीलदार, रायथल जिला बून्दी राजस्थान

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

वास्ते किये जाने पत्थरगढ़ी आराजीयात्

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट सुश्री कविता कहार।

पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि खाता संख्या 284 खसरा संख्या 1805 रकबा 0.21 है०, खसरा संख्या 1806 रकबा 0.11 है० भूमि वाके गेण्डोलीखुर्द पटवार हल्का गेण्डोली तहसील रायथल जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है और प्रार्थी की भूमि के अड़वे के अन्य खातेदारों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में लगी मेड, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है, इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है और प्रार्थी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इत्यादि अंकित कर प्रार्थना पत्र विषयक भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, रायथल से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, रायथल द्वारा जरिये पत्र क्रमांक मू०अ०/2024/3389 दिनांक 26.09.2024 से अवगत कराया है कि ग्राम गेण्डोली खुर्द की ऑनलाईन जमाबंदी सम्वत् 2073-76 जमाबंदी 2080 वर्ष (2023) से स्थायी में खाता संख्या 284 में खसरा नंबर 1770 रकबा 0.23 है०, खसरा संख्या 1786 रकबा 0.12 है० खसरा संख्या 1805 रकबा 0.21 है० खसरा संख्या 1806 रकबा 0.11 है० कुल कित्ता 4 रकबा 0.67 है० में शक्ति सिंह पुत्र भगतसिंह उर्फ भगवत सिंह जाति मीना सा० चाचोलिया की झौपड़िया खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिसमें खसरा संख्या 1805 व 1806 में खातेदार का कब्जा-काशत नहीं है, अन्य व्यक्ति का कब्जा-काशत होने से कब्जे को लेकर विवाद है, कब्जा प्राप्ति हेतु खातेदार द्वारा सक्षम धाराओ में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि मैं प्रार्थना पत्र विषयक आराजी का रेकार्डेड खातेदार हूँ तथा रेकार्डेड खातेदार के हैरियत से मुझे मेरी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रवीकार फरमाकर प्रार्थी की भूमि के पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर गनन किया एवं पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रेकार्ड आराजी खसरा संख्या 1805 रकबा 0.21 है०, खसरा संख्या 1806 रकबा 0.11 है० ग्राम गेण्डोली खुर्द का प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार, रायथल द्वारा अवगत कराया है कि इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा-काशत न होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा-काशत है और कब्जे के संबंध में विवाद

६५२